

222

98

न्यायालय श्रीमान् <sup>ए.ए.ए.</sup> अशुभक्त महोदय, राजस्व मंडल  
 ग्वालियर (म.प्र.) जे.ए.के. जी.पी. (म.प्र.)

प्रकाश क्रमांक R.2031-1712



R-2031-1712

सभाराम तनय अनंत राम चतुर्वेदी उम्र 75 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम

डिहुली टीकर नम्बर 3 तहसील सिहावल जिला सीधी (म.प्र.)

—पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. बीरभद्र चतुर्वेदी तनय तेजाराम ब्राम्हण
2. बलभद्र चतुर्वेदी तनय तनय तेजाराम ब्राम्हण
3. राधेश्याम चतुर्वेदी तनय तेजाराम ब्राम्हण
4. सूर्यभद्र चतुर्वेदी तनय तेजाराम ,  
निवासी ग्राम डिहुली नम्बर 3 तहसील सिहावल जिला सीधी
5. मु. मनकी बेवा स्व.तेजाराम ब्राम्हण
6. हरीनारायण तनय बलराम ब्राम्हण
7. व्यास तनय बलराम ब्राम्हण
8. बंदान्ती तनय बलराम ब्राम्हण
9. मु.रेवती पत्नी बलराम ब्राम्हण
10. रोहिणी तनय राजेश प्रसाद सभी निवासी ग्राम डिहुली खास ।
11. अमरौतिया पुत्री राजेश प्रसाद पत्नी गुलावराम निवासी ग्राम कोरौली खुर्द
12. बृहस्पति तनय शिवप्रसाद चतुर्वेदी निवासी डिहुली नम्बर 2
13. राजाराम तनय शिवप्रसाद चतुर्वेदी निवासी डिहुली नम्बर 2 तहसील सिहावल जिला सीधी ।
14. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला सीधी —गैर पुनरीक्षणकर्तागण

प्र. नं. 255  
2-6-16

1691

आज प्राप्त  
19-6-12

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर  
 सीधी जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक  
 165/निगरानी/2011-12 आदेश  
 दिनांक 18.05.12


म.प्र.  
 25-6-12  
 25-6-12

350

(96)  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.....R.2031-T/12..... जिला-रीवा

सभाराम चव्हेरी विरुद्ध वीरभद्र चव्हेरी वगैरे

(1)	(2)	(3)
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>समठ राम चव्हेरी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला <u>रीवा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>165/नगराती/2011-12</u> में पारित आदेश दिनांक <u>18.05.12</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>29.03.19</u> को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	